



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-04042026-271563
CG-RJ-E-04042026-271563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1665]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1665]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 2 अप्रैल, 2026

का.आ. 1730(अ).— केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	एनडब्ल्यूआर के रेवाडी-अलवर-वांदीकुई-जयपुर-अजमेर-फालना-पालनपुर, अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर और रेवाडी-रींगस-फुलेरा खंडों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम को 1X25 केवी से 2X25 केवी ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य	गुजरात, हरियाणा एवं राजस्थान

[फा. सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 2nd April, 2026

S.O. 1730(E).— In exercise of the powers conferred by section 2, clause (37A) of the Central Government, Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989) this notification notifies the project mentioned in column (2) of the table below, in the state mentioned in column (3) of the said table as a special Railway project, effective from the date of publication of this notification in the Gazette-

Table

Sr. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	Upgradation work of Electric Traction System from 1X25 KV to 2X25 KV traction system for Rewari-Alwar-Bandikui-Jaipur-Ajmer-Falna-Palanpur, Ajmer-Chittorgarh-Udaipur & Rewari-Ringas-Phulera section of NWR	Gujrat, Haryana and Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)